राजभाषा प्रकोष्ठ

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

शिक्षक संवर्ग

'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार' हेतु आवेदन प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2021–22 (1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) के दौरान हिन्दी के उत्कृष्ट प्रयोग हेतु पुरस्कार योजना

1. शिक्षक का नाम : .....
2. पदनाम एवं विभाग : .....
3. कक्षा शिक्षण में हिन्दी प्रयोग की स्थिति : .....
   .....
4. हिन्दी ज्ञान की स्थिति (कार्यसाधक/प्रवीण) : .....
5. कम्प्यूटर पर हिन्दी में कामकाज की स्थिति : .....
6. विज्ञान/तकनीकी विषय पर हिन्दी में पुस्तक प्रकाशन (आईएसबीएन सहित) : .....
   .....
7. प्रतिष्ठित शोधपत्रिका/पत्रिका (आईएसएसएन/यूजीसी केयर लिस्ट सहित) में तकनीकी विषय पर हिन्दी में शोधपत्र/आलेख प्रकाशन : .....
   .....
8. प्रतिष्ठित पत्रिका (आरएनआई/आईएसएसएन/यूजीसी केयर लिस्ट सहित) में हिन्दी में उच्चस्तरीय नवोन्मेषी शोधालेख का प्रकाशन : .....
   .....
9. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिन्दी में व्याख्यान का प्रकाशित स्वरूप : .....
   .....
10. हिन्दी में पाठ्य सामग्री निर्माण (लक्षित समूह को स्पष्ट करते हुए) : .....
    .....
11. राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में तकनीकी नवाचार : .....
    .....
12. प्रशासकीय/कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी प्रयोग की स्थिति : .....
    .....
13. हिन्दी माध्यम में अपने विषय से सम्बन्धित डिजिटल कार्यक्रमों के निर्माण की स्थिति : .....
    .....
14. राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/बैठकों/प्रतियोगिताओं/अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभागिता : .....
    .....
    .....

घोषणा पत्र

मैं .....(नाम).....(पदनाम/विभाग) घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन प्रपत्र में दी गईं सभी सूचनाएँ एवं संलग्न साक्ष्य मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य हैं। यदि किसी स्थिति में यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य असत्य हैं तो मेरा आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

हस्ताक्षर
(शिक्षक)

विभागाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी (अग्रेषित)

सामान्य निर्देश :

1. आवेदन प्रपत्र के साथ सभी साक्ष्यों की स्वप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करें।
2. निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. एक बार आवेदन प्रपत्र (साक्ष्य/दस्तावेजों सहित) जमा होने के उपरांत उसमें अन्य कोई दस्तावेज जोड़े या घटाए नहीं जा सकेंगे।
4. आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न घोषणा-पत्र हस्ताक्षरित न होने पर आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
5. विधिवत् भरा हुआ प्रपत्र विभागाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अग्रेषित एवं अनुशंसित होना चाहिए।
6. शिक्षक संवर्ग में 'राजभाषा पदक एवं पुरस्कार' हेतु विश्वविद्यालय के समस्त विभागों (हिन्दी, संस्कृत, उर्दू विभाग एवं भाषा विज्ञान को छोड़कर) में नियमित रूप से कार्यरत समस्त प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक पात्र होंगे। पुनर्नियोजित शिक्षक/विजिटिंग प्रोफेसर/अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत शिक्षकगण इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
7. पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। पी–एच.डी. के लिए लिखे गये शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गयी या पाठ्यपुस्तक के रूप में लिखी गयी पुस्तक पात्र नहीं होगी।
8. पुस्तक (आईएसबीएन) कम–से–कम 150 पृष्ठों की होनी चाहिए।
9. संयुक्त रूप से लिखित रचना मान्य नहीं होगी।
10. पदक प्रदान किए जाने में समिति/सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।